26

कार्यालय नगर निगम ग्रेटर, जयपुर

(पं. दीनदयाल उपाध्याय भवन, लालकोठी, टोंक रोड जयपुर-15)

क्रमांक : एफ-13 ( ) उपा.आयो-II/ननिज/2022/3160

दिनांक 27/3/2023

सार्वजनिक सूचना

भूखण्ड सं. 108, बाल विहार कॉलोनी, (छत्रपति शिवाजी गृह निर्माण सहकारी समिति लि0) जयपुर का जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा श्री रामगोपाल अग्रवाल पुत्र श्री ठाकुर दास अग्रवाल को क्षेत्रफल 388.89 वर्गगज भूमि का पट्टा विलेख जारी किया गया था। प्रकरण में अब आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र (अण्डरटेकिंग), रजि0 पट्टा मय साइट प्लान की फोटोप्रति, मूल आवंटी द्वारा रजि0 मुख्त्यारनामा आम द्वारा श्री मदन मोहन गुप्ता के पक्ष में बेचान किया गया। श्री मदन मोहन गुप्ता द्वारा श्री अशोक ककरालिया, श्री अशोक ककरालिया द्वारा श्री विनोद शर्मा, श्री विनोद शर्मा से श्री गौरी शंकर कुमावत, श्री गौरी शंकर द्वारा श्री ज्ञान चन्द शर्मा को उक्त भूखण्ड का मध्य भाग का बेचान किया गया, ज्ञान चंद द्वारा नगर निगम जयपुर से उक्त भूखण्ड का क्षेत्रफल 105.55 व.ग. का उपविभाजन करा लिया गया। ज्ञान की मृत्यु दिनांक 19.09.2021 को हो चुकी है मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न है। ज्ञान की मृत्यु उपरान्त श्रीमती स्लेहलता, कुमारी नेहा शर्मा द्वारा स्वयं के हिस्से का रजि.0 हकत्याग द्वारा श्री पंकज शर्मा के पक्ष में किया गया एवं अन्य चैन दस्तावेजों की फोटोप्रतियों के आधार उक्त भूखण्ड का नाम हस्तान्तरण चाहा है। आवेदक द्वारा उपलब्ध कराई गई मूल दस्तावेजों की फोटोप्रतियों के आधार पर श्री पंकज शर्मा पुत्र स्व0 श्री ज्ञान चंद शर्मा के पक्ष में उक्त भूखण्ड का कुल क्षेत्रफल 105.55 वर्गगज का नाम हस्तान्तरण जारी किया जाना है। उक्त भूखण्ड के नाम हस्तान्तरण बाबत किसी भी व्यक्ति, संस्था, फर्म, कम्पनी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन की तिथि से 07 कार्य दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय (उपायुक्त, आयोजना-द्वितीय) में प्रस्तुत करें। अन्यथा निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद विधिवत नियमानुसार पत्रावली नाम हस्तान्तरण की कार्यवाही सम्पादित कर ली जावेगी।

उपायुक्त (आयोजना द्वितीय)
नगर निगम ग्रेटर, जयपुर